झारखण्ड सरकार

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(जिला निर्वाचन शाखा)

धनबाद नगर निगम निर्वाचन के लिए आहूत टेन्ट शमियाना, जेनरेटर, विडियो कैमरा भाड़े पर आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें।

1. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनिकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग–अलग अंकित करना होगा।

तकनिकी बीडः–

I. तकनिकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

II. सर्विसकर निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

III. प्रत्येक निविदादाता को 10,000.00 (रूपये दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में **उप निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से** सुरक्षित राशि तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।

IV. प्रत्येक निविदादाता को अपने भण्डार में उपलब्ध कुर्सी, टेबल, टेन्ट शमियाना संबंधी अन्य आईटम की विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।

V. तकनिकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।

VI. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

वित्तीय (Financial bid):– वित्तीय बीड के लिफाफे में प्रत्येक आईटम यथा– शमियाना, वाटर प्रूफ पण्डाल, नन–वाटरप्रूफ पण्डाल, सीलिंग इत्यादि का दर प्रति वर्गफीट प्रति दिन के आधार पर देना होगा।

2. टेन्ट, पण्डाल, शमियाना इत्यादि गणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति करने सम्बन्धी शपथ पत्र कार्यादेश निर्गत होने पर संलग्न करना होगा। समय पर सामग्री आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।
3. कार्यालय या कार्यस्थल तक सामग्रियों को लाने या वापस ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
5. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फर्मो को कार्यादेश दिया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
उपायुक्त, धनबाद।